INDIAN ALLIED HEALTH CARE PROFESSIONAL / INSTITUTE ASSOCIATION

प्रेषांक (Ref. No.): IAHA/UP/2026/587 **दिनांक: 16/02/ 2026**

सेवा में,
महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश।

विषय: राज्य स्तरीय नियामक परिषद के अभाव में एलाइड हेल्थ / पैरामेडिकल पेशेवरों के पंजीकरण के संबंध में निवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हाल तक एलाइड हेल्थ एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विनियमन हेतु भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कोई पृथक वैधानिक नियामक निकाय उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा **National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)** का गठन किया जा चुका है तथा राज्य स्तरीय परिषदों के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है। तथापि, उत्तर प्रदेश में राज्य परिषद का गठन एवं उसका विधिवत संचालन अभी पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हुआ है।

यह अवलोकन में आया है कि कई जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों द्वारा एलाइड हेल्थ / पैरामेडिकल पेशेवरों से **State Medical Faculty** से पंजीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि राज्य चिकित्सा संकाय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रदान करता है, जिन्होंने उसके संबद्ध अथवा अनुमोदित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

वर्तमान में अनेक अभ्यर्थियों ने एलाइड हेल्थ पाठ्यक्रमों में डिग्री / एडवांस डिप्लोमा / डिप्लोमा University Grants Commission (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, स्वायत्त संस्थानों अथवा शासकीय पंजीकृत संगठनों से प्राप्त किए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं। उक्त उपाधियां विधिवत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त वैध शैक्षणिक योग्यताएं हैं। तथापि, राज्य चिकित्सा संकाय से संबद्ध न होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों का पंजीकरण राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है।

फलस्वरूप, विधिवत अर्हता प्राप्त इन पेशेवरों को अपनी सेवाएं प्रदान करने में गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य चिकित्सा संकाय पंजीकरण की अनिवार्यता के कारण अनेक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट पंजीकरण प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित करने से इंकार किया जा रहा है अथवा प्रकरण लंबित रखा जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता दोनों प्रभावित हो रही हैं।

अतः जनहित में तथा **National Commission for Allied and Healthcare Professions** अधिनियम के अंतर्गत राज्य परिषद के पूर्ण रूप से कार्यशील होने तक, विनम्र अनुरोध है कि एक अंतरिम व्यवस्था लागू करने की कृपा की जाए, जिसके अंतर्गत—

- UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शासन द्वारा अनुमोदित / पंजीकृत संस्थानों से डिग्री / एडवांस डिप्लोमा / डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को, अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट पंजीकरण हेतु पात्र माना जाए;

या

- एलाइड हेल्थ / पैरामेडिकल पेशेवरों से राज्य चिकित्सा संकाय पंजीकरण की अनिवार्यता अस्थायी रूप से स्थगित की जाए, जब तक कि राज्य परिषद विधिवत गठित होकर कार्य प्रारंभ न कर दे।

अतः निवेदन है कि इस संबंध में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे राज्य परिषद के गठन एवं संचालन तक योग्य अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित रह सकें।
प्रकरण को जनहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

Secretary
I. A. H. A.
INDIAN ALLIED HEALTH CARE
PROFESSIONAL / INSTITUTE ASSOCIATION

भवदीया
दिव्या तिवारी
सचिव
Indian Allied Health Care Professional / Institute Association (IAHA)
Ch. No. 157/1, Near Laxmi Nagar Metro Station, Gate No. 1
Vikas Marg, Delhi – 110092
मो.: +91-9450341781

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु):

1. नोडल अधिकारी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, उत्तर प्रदेश।
2. संयुक्त निदेशक (चिकित्सा देखभाल) एवं नोडल अधिकारी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम (CEA), उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश – अवलोकनार्थ।
4. वैकल्पिक / मॉनिटरिंग सेल, कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश – आवश्यक अभिलेख एवं अनुश्रवण हेतु।
5. माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश – अवगतार्थ।
6. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन – आवश्यक कार्यवाही हेतु।